21/12/16 मुलाहजा फाईल किया गोहार वकील प्रार्थी
व प्रार्थी को आवाज दिलाई गयी।
बार बार आवाज दिलाने के बावजूद न्यायालय
समय तक हाजिर नहीं होने से [illegible]
अदम पैरवी अदम हाजिरी खारिज किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल
फैसला शुमार होकर नकल से [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़